न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का कोसरिया

श्री भीखाराम पुत्र तुलसाराम कौम जाट निवासी लापला

मुकदमा नम्बर 12/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2078 के दौरान तहसील बायतु के पटवार मण्डल कोसरिया के ग्राम कोसरिया के खसरा न. 571/429 रकबा 6.4720 हैक्ट. में से 5.5012 हैक्ट किस्म बारानी दोयम भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का कोसरिया द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तमील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्रार्थी द्वारा बारानी दोयम भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान का पचास गुना जुर्माना **रू 150/– अक्षरे एक सौ पचास रूपये** मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना वसूल करें तथा भू. अभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करे। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का,भू.अ.निरीक्षक व त.रा.ले. तहसील हाजा को आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर (राज)

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बायतु जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner